# न्यायालय जिला कलक्टर (मध्यस्थता अधिकारी) बून्दी

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

| पत्रावली संख्या | प्रविष्टि दिनांक | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|
| मैनुअल नं.125/प्रा.पत्र/2024 | 21.10.2024 | 22.07.2025 |
| ( GCMS No. 2024/189 ) | | |

के0के0 पब्लिक स्कूल पंजीकृत संस्था द्वारा
निदेशक, नन्दकिशोर मण्डा निवासी कुंवारती,तहसील व जिला बून्दी

— प्रार्थी

बनाम

अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बून्दी (राज0)

— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम बाबत

उपस्थित—

प्रार्थी की ओर से श्री अरविन्द प्रकाश शर्मा, एडवोकेट।
अप्रार्थी की ओर से श्री भंवरलाल गुर्जर, एडवोकेट।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

## निर्णय

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बून्दी द्वारा बून्दी जिले में बून्दी बाईपास सड़क परियोजना के निर्माण हेतु अवाप्त भूमि ग्राम कुंवारती, तहसील बून्दी की आराजी खसरा संख्या 1073/170 में से रकबा 0.0880 हैक्टेयर बाबत पारित अवार्ड से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 3 राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 इस न्यायालय में पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अवाप्त की गई भूमि का व्यावसायिक दर से मुआवजा तय कर उसका भुगतान मय ब्याज के प्रार्थी को दिलाये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रविष्टि पंजिका क्रमांक 125/2024 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2024/189 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थी जरिये नोटिस आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। अप्रार्थी की ओर से दिनांक 03.03.2025 को जवाब पेश किया जाकर प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

जिला कलेक्टर, बून्दी

अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये बहस के दौरान कथन किया कि एस.एच.29 किलोमीटर 95506 एन.एच.12 न्यू एनएच 52/217/400 बून्दी बाईपास सड़क निर्माण परियोजना के लिए भूमि अवाप्ति हेतु बजट में तारीख 05.11.2018 को प्रकाशन किया गया है। प्रकाशित विज्ञप्ति में प्रार्थी के खाते की भूमि खसरा संख्या 1073/170 में से 0.0846 हैक्टैयर भूमि की अवाप्ति बाबत सूचना प्रकाशित हुई है। इस प्रकार उक्त सडक निर्माण के लिए भूमि अवाप्त बाबत् जो सूचना पत्र जारी हुआ है उसमें अवाप्ति के लिए प्रार्थी के खाते की मात्र 0.0846 हैक्टेयर कृषि भूमि का अंकन किया गया है जबकि वास्तविक रूप से 0.0880 हैक्टेयर व्यावसायिक भूमि सडक निर्माण के उपयोग में उपभोग कर काम में ली गई है, जो गजट नोटिफिकेशन में प्रकाशित रकबे से 0.0034 हैक्टेयर भूमि बिना मुआवजा भुगतान किये अधिक काम में ले ली गई। प्रार्थी द्वारा इस बाबत समय समय पर कार्यवाही की गई। संबंधित विभाग द्वारा प्रार्थी को सूचना दी गई कि प्रार्थी के खाते की भूमि में से 0.0880 हैक्टेयर भूमि में सडक निर्माण हुआ है। प्रार्थी द्वारा दीवानी न्यायालय में अपने अधिकारों के बाबत कानूनी कार्यवाही की जिस पर अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश किया गया कि उक्त सडक निर्माण के लिए 0.880 हैक्टेयर भूमि का उपयोग उपभोग हुआ है। इस प्रकार प्रार्थी उक्त सडक निर्माण में ली गई 0.0880 हैक्टेयर भूमि का मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी है। दीवानी न्यायालय द्वारा दिनांक 03.08.2024 को अपीलांट को आदेशित किया गया कि विधि के तहत दीवानी न्यायालय का श्रवणाधिकार वर्जित होने से प्रार्थी अपने अधिकारों के बाबत भूमि अवाप्ति के संबंध में सक्षम अधिकारियों के समक्ष कार्यवाही करने हेतु वाद पत्र लौटाया गया। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया गया जाकर अवाप्त की गई भूमि का व्यावसायिक दर से मुआवजा तय कर उसका भुगतान मय ब्याज के प्रार्थी को दिलाये जाने का निवेदन किया है।

अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के तहत बून्दी बाईपास सडक निर्माण परियोजना के लिए कुल 14.8323 हैक्टेयर भूमि अपेक्षित होने से ग्राम जावटीकला, गणपतपुरा, काटूनारा, माटून्दा, कुंवारती, दौलाडा एवं रामगंज में भूमि अर्जन की गई। उक्त सडक निर्माण में ग्राम कुंवारती की भूमि खसरा संख्या 1073/170 गजट नोटिफिकेशन के अनुसार रकबा 0.0846 हैक्टेयर अवाप्त किया गया है तथा अवाप्तशुदा रकबा में ही सडक निर्माण किया गया है। गजट नोटिफिकेशन की घोषणा के अनुसार अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा निर्धारण सही किया गया है। प्रार्थी को किसी प्रकार का अतिरिक्त मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी सारहीन होने से खारिज किया जावे।

जिला कलेक्टर बून्दी

न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। जिससे जाहिर आया कि बून्दी बाईपास सडक निर्माण परियोजना एन.एच.29 किलोमीटर 95/500 से एन.एच.12 (न्यू एन.एच. 52) 217/400 के निर्माण के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के तहत राजस्थान के राजपत्र में एवं 02 दैनिक समाचार पत्रों में अधिसूचना का प्रकाशन किया जाकर एवं दिनांक 25.07.2018 को ग्राम पंचायत मुख्यालय अटल सेवा केन्द्र,दौलाडा पर जन सुनवाई की जाकर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की गई। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा तत्समय कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रार्थी द्वारा इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत की गई है कि अप्रार्थी द्वारा प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन में 0.0846 हैक्टेयर भूमि अवाप्त किये जाने का अंकन किया गया तथा उक्त रकबे की ही मुआवजा राशि निर्धारित की गई है, जबकि वास्तव में 0.0880 हैक्टेयर भूमि मौके पर अवाप्त कर ली गई है इसलिए प्रार्थी के खाते की अतिरिक्त अवाप्त की गई 0.0034 हैक्टेयर भूमि की शेष मुआवजा राशि का भुगतान किया जावे तथा सम्पूर्ण भूमि की व्यावसायिक दर से मुआवजा राशि निर्धारण करवाया जाकर प्रार्थी को भुगतान किया जावे।

यहां उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3(जी)7(ए) के अनुसार अवाप्त सम्पत्ति का मुआवजा उद्घोषणा की तिथि पर डीएलसी दर के अनुसार देय होने के प्रावधान निहित है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से प्रार्थी की कुल कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया, अधिग्रहण की गई भूमि कृषि भूमि थी या व्यावसायिक उपयोग की भूमि थी, मुआवजा राशि का निर्धारण भूमि की कौन सी किस्म के आधार पर किया गया, इत्यादि तथ्य स्पष्ट नहीं हो रहे है। ऐसे में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के संदर्भ में न्यायहित में मौका स्थिति एवं राजस्व रिकार्ड की जांच करवाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः न्यायहित को मद्देनजर रखते हुये प्रार्थना पत्र प्रार्थी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग), बून्दी को आदेश दिया जाता है कि अवाप्तशुदा भूमि की मौका स्थिति एवं राजस्व रिकार्ड की समुचित जांच की जाकर यदि अवार्ड के अतिरिक्त, अधिक भूमि अवाप्त हुई हो तो अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही की जाकर प्रार्थी को भूमि की किस्म के अनुसार नियमानुसार मुआवजा दिया जावे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 22.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( अक्षय गोदारा )
जिला कलक्टर, बून्दी
जिला कलक्टर, बून्दी